0000 00000

A 27

नकल छायाप्रति आदेश, दि० - 20 - 09 - 18

दि०/नां० - 20.9.18

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :फैजाबाद,जनपद :बाराबंकी,तहसील :फतेहपुर
वाद संख्या :-04200/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201804120304200
आर०एस० ग्लोबल एजूकेशनल ट्रस्ट दवारा अध्यक्ष श्याम पचौरी बनाम ग्राम पंचायत
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

वाद संख्या 32 (वर्ष 2018)

अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0 रा0
संहिता, 2006 नियमावली–2016
ग्राम–अगासन्ड परगना–कुर्सी
तह0 फतेहपुर जिला– बाराबंकी।

आदेश

प्रस्तुत वाद श्री श्याम पचौरी पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी 18ए जगन्नाथपुरी कालोनी कमता चिनहट जिला लखनऊ द्वारा उक्त धारा के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.08.2018 के आधार पर योजित हुआ, जिसमें वादी द्वारा अभिकथन किया गया है कि ग्राम अगासन्ड परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की खाता सं0 00038 की गाटा सं0 267/2मि. रकबा 0.835हे0 मा0गु0 25.05 पैसा का वादी संक्रमणीय भूमिधर है, उक्त भूखण्ड के सम्पूर्ण रकबे पर वादी द्वारा कृषि कार्य नही किया जा रह है, भूमि विद्याल भवन बनाने के लिये प्रयोग की जा रही है। इस आधार पर वादी द्वारा उक्त भूखण्ड को वाणिज्यिक/अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र का संज्ञान लेते हुए उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में तहसीलदार फतेहपुर से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 16.08.2018 के अनुसार ग्राम अगासन्ड परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की खाता सं0 00038 पर अंकित गाटा सं0 267/2मि. रकबा 0.835हे0 भू0रा0 25.05 पैसा आर0एस0 ग्लोबल एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष श्याम पचौरी पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी 18ए जगन्नाथपुरी कालोनी कमता, चिनहट जिला लखनऊ के नाम जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 18.05.2018 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। स्थल पर उक्त भूमि अकृषिक रुप में है, विद्यालय भवन निर्माझा हेतु नींव व पिलर निर्माण कार्य हो गया है। इस भूमि को अकृषित घोषित किये जाने से किसी सार्वजनिक व ग्राम समाज की भूमि को कोई क्षति नही होगी। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्सय पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि कार्य नही किया जा रहा है बल्कि अकृषिक प्रयोजनार्थ उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो इस प्रकार है:–

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम व पिता का नाम व पता	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्र0	मा0 गु0	विशिष्टि गैर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उसका कोई भाग जिसमें भूमि प्रयुक्त की जा रही है।		विशिष्टि विवरण
						गाटा स0	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्रमशः... 2 पर

Managing Director
Auxilium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

0000 00000

A21

पृष्ठ संख्या :

अगासंड	आर0एस0 ग्लोबल एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष श्याम पचौरी पुत्र स्व0 सुरेश चन्द शर्मा निवासी 18ए जगन्नाथपुरी कालोनी कमता, चिनहट जिला लखनऊ	00038	267 / 2मि.	0.835	25.05	267 / 2मि.	0.835हे0	
						मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।		

चूंकि वादी द्वारा वाद स्वयं योजित किया गया है ऐसी स्थिति में नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतएव ग्राम अगासन्ड परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी की भूमि खाता सं0 00038 पर अंकित गाटा सं0 267 / 2मि. रकबा 0.835हे0 भू0रा0 25.05 पैसा पूर्णतयः अकृषिक है जिस पर मौके पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त भूखण्ड / क्षेत्रफल को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या न्यायालय पर सम्प्रेषित की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यो तथा तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया, जिससे विदित हैं कि ग्राम अगासन्ड परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की खाता सं0 00038 पर अंकित गाटा सं0 867 / 2मि. रकबा 0.835हे0 मा0गु0 25.05 पैसा पर आवेदक आर0एस0 ग्लोबल एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष श्याम पचौरी पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र शर्मा निवासी 18ए जगन्नाथपुरी कालोनी कमता, चिनहट जिला लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर, दर्ज कागजात है। मौके पर उक्त भूखण्ड के सम्पूर्ण रकबे पर विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा सम्बन्धित भूमि के फोटो ग्रापस भी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये गये है।

प्रश्नगत वाद वादी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 एवं नियमावली फरवरी, 2016 की धारा 85(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित अकृषिक उदघोषणा शुल्क धनराशि का एक प्रतिशत रुपया 40,100 / — (चालीस हजार सौ रुपया) चालान संख्या 01 दिनॉक 07 सितम्बर 2018 के द्वारा तथा आगणित धनराशि का एक प्रतिशत न्याय शुल्क 40,100 / — (चालीस हजार सौ रुपया) चालान सं0 5401 / 01 / 1ई0 63069 दिनांक 14 सितम्बर 2018, को भारतीय स्टेट बैंक शाखा फतेहपुर में जमा कोष किया गया है। शासन द्वारा आवास / उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के कारण जनहित में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा--80 तथा नियमावली फरवरी, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम अगासन्ड परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की वर्तमान खतौनी सन् 1420—1425फ0 की खाता संख्या 00038 पर अंकित गाटा सं0 267 / 2मि. रकबा 0.835हे0 भू0रा0 25.05 पैसा को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा–80 तथा नियमावली फरवरी, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गैरकृषिक घोषित किया जाता है। परन्तु भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य पायें जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। तदनुसार प्रश्नगत क्षेत्रफल की मा0गु0 25.05 पैसा से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबन्धक फतेहपुर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु एवं तहसीलदार फतेहपुर को अनुपालनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित राजस्व अभिलेखागार की जाये।

दिनांक:— 20.09.18

(राम नारायण)
उप जिलाधिकारी
फतेहपुर–बाराबंकी।

24/9/18

24/9/18

24/9/18

सत्य प्रतिलिपि

...up.nic.in/Judgement/Print_Advel...se...aspx?c...T20180...

मंजू कश्यप
प्रतिलिपिक
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट,बाराबंकी

Managing Director
Auxillium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki

राजस्व अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, बाराबंकी

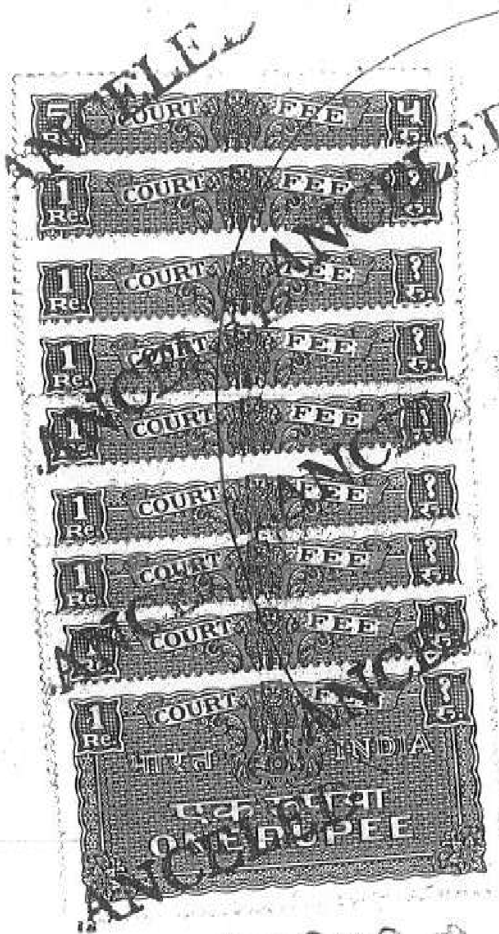

9=13

कार्यालय जिला...
...नकल सवाल गुजरने ... 6732
...नकल सवाल बनाने की... 04-11-19
...कोर्ट फीस 9=13 05-11-19
...शब्द 190 लगाया
...नकल नवीस...
...की तारीख...

बनाया गया... छायाप्रति
सुना गया...

Managing Director
Auxillium College of Pharmacy
Agasand, Kursi Road, Kursi, Barabanki